

312  
23

2023/158

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2023/63

दिनांक:- 8/6/2023

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान् श्रीमती श्यामूबाई पिता बाबू शाही नि.  
पारखिया प.ह. रेवरी के राजस्व ग्राम फतेहाबाद में जमाबन्दी संवत् 2076-  
2078 की खाता संख्या 73 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम श्यामूबाई किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम श्यामूबाई का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबन्धित जाति) अनुसूचित जा.  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिश्ते में राज. काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 12  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

316123  
तहसीलदार  
चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रे.डि.र/2023/88

दिनांक: 8/6/2023

निमित्त,

पटवार हल्का रेवरी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 133

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान् के अनुसार श्रीमती श्यामूबाई पिता बाबू शाही  
राजस्व ग्राम फतेहाबाद प.ह. रेवरी की खाता संख्या 73 में  
जाति/नाम श्यामूबाई दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जमा व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान् श्री श्यामूबाई पिता बाबू शाही  
जाति/नाम श्यामूबाई एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. रेवरी राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अंगत भी पाठाना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

1. प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ